न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
35/2005	17.03.2005	13.8.25

1. मोहन पुत्र दौजी उर्फ दौलजी, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. सीताराम पुत्र दौजी उर्फ दौलजी, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
3. अमित पुत्र पुत्र दौजी उर्फ दौलजी आयु 9 साल, नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक भाई मोहन, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. दौजी उर्फ दौलजी पुत्र हरनारायण, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
2. कमल पुत्र हरनारायण, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
3. अमरसिंह पुत्र हरनारायण, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
4. केसर बेबा हरनारायण, माली नि. सलेमपुर तह0 गंगापुर(मृतक—नाम हजफ)
5. जम्बूरी बेबा नवल, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6. सांवलिया पुत्र राजपाल, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर (मृतक)

6/1 रामस्वरूप पुत्र स्व. सांवलियॉ, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6/2 गोविन्द पुत्र स्व. सांवलियॉ, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6/3 मन्नू पुत्र स्व. सांवलियॉ, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6/4 मदन पुत्र स्व. सांवलियॉ, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6/5 काडी पुत्री सांवलिया पत्नी घनश्याम, माली नि. हिगोंटिया तह0 गंगापुर

7. जगदीश पुत्र रामहेत, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
8. कैलाश पुत्र रामहेत, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर (मृतक)

8/1 अशोक पुत्र स्व.कैलाश, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
8/2 सोनू उर्फ अनिल पुत्र स्व.कैलाश, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
8/3 सरूपी देवी पत्नी स्व.कैलाश, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर

9 राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र [illegible] सलारपुर तह0 गंगापुर
10 लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सि[illegible]

—प्रतिवादीगण

दावा बा[illegible]

उपस्थित :— श्री हर्षवर्धन शर्मा, [illegible] की ओर से
श्री ओमप्रकाश शर्मा, एड. प्रति[illegible]ी संख्या 9 की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मोहन वगैरा बनाम दौजी वगैरा, दावा

(2)

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सलेमपुर ह0 गंगापुर सिटी मे भूमि ख0न0 162 रकबा 0.68 है0, ख0न0 163 रकबा .02 है0, ख0न0 164 रकबा 0.21 है0, ख0न0 165 रकबा 0.05 है0 स्थित है। जिसकी खातेदारी जमाबंदी संवत 2059—62 मे सांवलियॉं पुत्र रामपाल हि0 1/4, जम्बूरी बेवा नवल हि0 1/10, दौजी, कमल, अमरसिंह पुत्रगण हरनारायण, केसर बेवा हरनारायण हि0 4/10, जगदीश, कैलाश पुत्रान रामहेत हि0 1/4 जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि मे वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 दौजी व प्रतिवादी संख्या 2 कमल, प्रतिवादी संख्या 3 अमरसिंह, प्रतिवादी संख्या 4 केसर का हिस्सा 4/10 दर्ज है। भूमि मुतदाविया वादीगण के बाबा हरनारायण के समय से चली आ रही है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है। इसमे वादीगण का बराबर का हक है। वादीण के पिता दौजी नशेबाज व गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। दिनांक 10.3.05 को वादीगण फसल संभालने गये तो प्रतिवादी संख्या 9 राजेन्द्र कुमार ने वादीगण को रोका और कहा कि इस जमीन के अपने हिस्से मे से 1/2 भाग को तुम्हारे पिता दौजी ने हमको एक लाख रूपये मे बेचकर रजिस्ट्री करा दी है और कब्जा हमको संभला दिया है। हम शीघ्र ही इस भूमि की खातेदारी अपने नाम करा लेगे। वादीगण ने तहसील गंगापुर सिटी से विक्रय पत्र दिनांक 29.12.04 की नकल ली जो दिनांक 1.1.05 को प्राप्त हुई। इससे ज्ञात हुआ कि दौजी ने दिनांक 29.12.04 को अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 162 रकबा 0.68 है0 मे अपने हिस्से मे से 1/2 हिस्से की भूमि को एक लाख रूपये मे राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी संख्या 9 को बेच दिया। वयनामे को पढने से स्पष्ट है कि दौजी ने जिस जमीन का हिस्सा प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार को बेचा उसका रकबा क्या था तथा इसकी सीमा व स्थिति क्या थी। वयनामे मे भूमि की सीमा व स्थिति, लम्बाई व चौडाई आदि लिखकर काटी गई है। जिस पर लेखक ने काटफास करने का नोट भी लगा रखा [illegible] वयनामे के विषय मे अपने पिता दौजी से पूछा तो उन्होने कहा कि [illegible] केवल 1100/— रूपये देकर शेष राशि भविष्य मे देने का [illegible] हस्ताक्षर करा लिये है तथा पूरी कार्यवाही फर्जी है। [illegible] पैतृक सम्पत्ति है। वादीगण प्रतिवादी दौजी के पुत्र है। जिनका वाद[illegible] भूमि मे समान अधिकार है। दौजी को भूमि बेचने का कोई अधिकार नही था एवं दौजी ने भूमि बेचने से पूर्व परिवार वालो से कोई राय भी नही ली। प्रतिवादी संख्या 9 राजेन्द्र कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

हक मे किया गया भूमि का बेचान कानूनन शून्य व प्रभावहीन है जो काबले वादीगण निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि का कब्जा प्रतिवादी न्द्र को नही दिया गया है। भूमि का अभी बंटवारा नही हुआ है। ऐसी थति मे सहखातेदारी की पूरी भूमि पर वादीगण व सभी सहखातेदारान का ब्जा है। अतः बिना बंटवारा हुए दौजी को भूमि विक्रय का कोई अधिकार ही था। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध तिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे के ग्राम सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित भूमि ख0न0 162 रकबा 0.68 है0, ख0न0 163 रकबा 0.02 है0, ख0न0 164 रकबा 0.21 है0, ख0न0 165 रकबा 0.05 है0 वादीगण की पैतृक भूमि है। जिसमे वादीगण का हिस्सा है। प्रतिवादी दौजी को भूमि ख0न0 162 रकबा 0.68 है0 को प्रतिवादी संख्या 9 राजेन्द्र कुमार को विक्रय करने का कोई अधिकार नही था एवं विक्रय पत्र दिनांक 29.12.04, पंजीयन दिनांक 1.1.05 विरूद्ध वादीगण कानूनन शून्य व प्रभावहीन व निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 9 राजेन्द्र कुमार को इस विक्रय पत्र के आधार पर कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। भूमि का बंटवारा नही हुआ है ऐसी स्थिति मे प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि का पर समान अधिकार है तथा बिना बंटवारा हुए किसी हिस्सा विशेष को बेचने का प्रतिवादी दौजी को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 9 राजेन्द्र कुमार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह भूमि ख0न0 162 रकवा 0.68 है0 मे दौजी के हिस्से मे दर्ज भूमि के वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे कोई बाधा नही डाले। किसी हिस्सा विशेष पर निर्माण या कब्जा नही करे एवं किसी हिस्सा विशेष को रहन वय नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 9 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि सभी पक्षकारान अलग अलग रहते है एवं सभी [illegible] मौखिक रूप से काफी पहले से ही बंटवारा कर रखा है और [illegible] अपने हिस्सों पर काबिज है। ख0न0 162 को बेचने से पूर्व [illegible] कोई काश्त नही होती थी ना ही दिनांक 10.3.05 को [illegible] फसल बोई गई थी। दौजी ने अपने हिस्से 1/2 की भूमि प्रतिवादी को एक लाख रुपये मे बेचकर तहसील मे रजिस्ट्री करायी है। रजिस्ट्री नियमानुसार तस्दीक हुई है। किसी कानून मे यह आवश्यक नही है कि भूमि की लम्बाई व चौडाई भी दर्ज की जावें। दौजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अपने लडको व कुटुम्बियों से साज कर नीयत खराब हो जाने के कारण ह मुकदमा कराया है। एक दावा दौलजी बनाम सीताराम मु0न0 25/05, सरा दावा सांवलिया वगैरा बनाम जम्बूरी वगैरा मु0न0 34/05 व तीसरा ावा मोहन वगैरा बनाम दौजी वगैरा है जो एक ही भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय त्र के विरूद्ध है। प्रतिवादी संख्या 9 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए भूमि खरीदी है एवं यह विक्रय पत्र वैधानिक है एवं किसी भी न्यायालय से आज तक रद्द नही हुआ है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नही है। इसका अधिकार सिविल कोर्ट को है। प्रतिवादी राजेन्द्र ने ख0न0 162 मे से दौजी को 1/2 हिस्से की भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी है जो 60बाई60 फिट है और रोड सवाई माधोपुर पूरब झांकती है। उक्त हिस्से मे प्रतिवादी ने दासाबंदी कर ली है, इसमे प्रतिवादी के पत्थर पडे हुए है। दो ट्राल बजरी पडी हुई है। आठ नौ पट्टी रखी हुई है और जलाने का ईधन रखा हुआ है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाबदावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई।

1. आया भूमि ख0न0 162 रकबा 0.68 है0, ख0न0 163 रकबा 0.02 है0, ख0न0 164 रकबा 0.21 है0, ख0न0 165 रकबा 0.05 है0 ग्राम सलेमपुर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की पैतृक भूमि है। जिसमे वादीगण के पिता दौजी उर्फ दौलजी (प्रतिवादी संख्या 1) का 1/10 हिस्सा है।

—वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्रगण है एवं वादग्रस्त भूमि मे उनके अपने पिता के हिस्से की भूमि मे बाई वर्थ अधिकार है। —वादीगण

3. आया वादीगण का पिता प्रतिवादी संख्या 1 नशेबाज है एवं गैर जिम्मेदार है। जिसको नशे के प्रभाव मे लाया जाकर कोई भी कार्य कराया जा सकता है।

—वादीगण

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण [illegible] सहमति के बिना एवं बिना पारिवारिक आवश्यकता के भूमि ख0न0 [illegible] के नाम दर्ज हिस्से की भूमि मे से 1/2 भूमि दिनांक [illegible] संख्या 5 को विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी है।

—वादीगण

5. आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया [illegible]ा उपरोक्त विक्रय विधि विरूद्ध शून्य एवं वादीगण के विरूद्ध प्रभावहीन है एवं निरस्त होने योग्य है।

—वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:45:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष मे किये गये क्रय दिनांक 1.1.05 को वादीगण विधि विरूद्ध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने, वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं का नाम दर्ज कराने प्रतिवादी संख्या 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

—वादीगण

7. आया वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान काफी समय पूर्व से ही मौके पर मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा है। सभी अपने अपने हिस्सों पर अलग अलग काबिज है अर्थात दौजी ने अपने हिस्से की भूमि मे से ही प्रतिवादी संख्या 9 को भूमि एक लाख रूपये लेकर विधिसम्मत तरीके से विक्रय कर भूमि पर कब्जा क्रेता को संभला दिया है एवं क्रयशुदा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है।

—प्रतिवादी संख्या 9

8. आया अब भूमि की कीमती बढ जाने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस मे साज कर प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की गरज से दावा दौलजी बनाम सीताराम, सांवलियॉं वगैरा बनाम जम्बूरी वगैरा व दावा मोहन बनाम दौजी वगैरा पेश करवा रखे है जो चलने योग्य नही है।—प्रति0 सं09

9. आया विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है।

—प्रति0 सं0 9

10. अनुतोष

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2039 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत 2059–62 प्रदर्श 3, नकल विक्रय पत्र दिनांक 1.1.05 प्रदर्श 1 पेश किये है एवं बयान वादी सीताराम पीडब्ल्यू 1 कराये है।

प्रतिवादी संख्या 9 ने अपने जबाब के समर्थन मे नकल वादपत्र उनवानी सांवलिया वगैरा बनाम जम्बूरी वगैरा, नकल आदेशिका दिनांक 6.6.05 मुकदमा उनवानी दौजी बनाम सीताराम मय नकल वादपत्र, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 1.1.05 प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने [illegible] वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 9 को विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2039 प्रदर्श 2 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
नागुर सिटी (स०मा०)

मोहन वगैरा बनाम दौजी वगैरा, दावा

(6)

दग्रस्त भूमि रामपाल पुत्र पून्या हि0 1/4, हरनारायण पुत्र कलुवा हि0 /2, रामहेत पुत्र मूल्या हि0 1/4 की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबंदी ंवत 2059–62 प्रदर्श 3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि सांवलिया पुत्र रामपाल ह0 1/4 जम्बूरी बेवा नवल हि0 1/10, कमल, दौजी, अमरसिंह पि0 रनारायण, मु0 केसर बेबा हरनारायण हि0 बराबर हि0 4/10, जगदीश, कैलाश पिता रामहेत हि0 1/4 की खातेदारी मे दर्ज है। इन जमाबंदियों से वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि प्रमाणित होती है एवं इसमे वादीगण के पिता का 1/10 हिस्सा सहखातेदारी मे दर्ज है। नकल विक्रय पत्र दिनांक 1.1.05 के अनुसार भूमि ख0न0 168 मे से दौजी उर्फ दौलजी ने उसके हिस्से की भूमि मे से 1/2 भूमि प्रतिवादी संख्या 9 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की है। वादीगण का कथन है कि उनके पिता प्रतिवादी संख्या 1 दौजी नशेबाज है परन्तु इस कथन को वे प्रमाणित नही कर पाये है। जहाँ तक प्रतिवादी सं0 9 को भूमि विक्रय का प्रश्न है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो कराया है वह किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही हुआ है एवं इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को इस न्यायालय द्वारा विधि शून्य घोषित नही किया जा सकता है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि विक्रय का अधिकार है। वादीगण ने अपने वादपत्र मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि मे स्वयं की खातेदारी घोषणा चाही है। इस सम्बन्ध मे हमारा यह मानना है कि वादग्रस्त भूमि अभी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पृथक से दर्ज नही होकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम सहखातेदारी मे दर्ज है एवं भूमि का विधिवत विभाजन हुए बिना वादीगण के पक्ष मे किसी खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित नही है। फलस्वरूप वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के [अनुसार वादीगण का] वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी कि[या जावे]।

पत्रावली फैसलशुमार हो[कर] [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई | Judi/Civil
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) | Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

बज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. मोहन पुत्र दौजी उर्फ दौलजी, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. सीताराम पुत्र दौजी उर्फ दौलजी, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
3. अमित पुत्र पुत्र दौजी उर्फ दौलजी आयु 9 साल, नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक भाई मोहन, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. दौजी उर्फ दौलजी पुत्र हरनारायण, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
2. कमल पुत्र हरनारायण, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
3. अमरसिंह पुत्र हरनारायण, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
4. केसर बेबा हरनारायण, माली नि. सलेमपुर तह0 गंगापुर(मृतक—नाम हजफ़)
5. जम्बूरी बेबा नवल, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6. सांवलिया पुत्र राजपाल, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर (मृतक)

6/1 रामस्वरूप पुत्र स्व. सांवलियॉ, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6/2 गोविन्द पुत्र स्व. सांवलियॉ, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6/3 मन्नू पुत्र स्व. सांवलियॉ, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6/4 मदन पुत्र स्व. सांवलियॉ, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
6/5 काडी पुत्री सांवलिया पत्नी घनश्याम, माली नि. हिगोंटिया तह0 गंगापुर

7. जगदीश पुत्र रामहेत, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
8. कैलाश पुत्र रामहेत, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर (मृतक)

8/1 अशोक पुत्र स्व.कैलाश, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
8/2 सोनू उर्फ अनिल पुत्र स्व.कैलाश, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर
8/3 सरूपी देवी पत्नी स्व.कैलाश, माली निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर

9 राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र सीत[illegible] नि. सलारपुर तह0 गंगापुर
10 लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नं. —35/2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] रूबरू हमारे व हाजरी श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई [illegible] ओमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मोहन वगैरा बनाम दौजी वगैरा, दावा

(2)

मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.4.23 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प पर्चा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनतानावकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested